राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

<u>17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,</u>
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

फ. सं. ए – 110018/01/2021-सी. ए. क्यू. एम./8531-8693

दिनांक: 5वाँ अगस्त,2022

विषय: एन.सी.टी. दिल्ली सहित एन सी आर के लिए ग्रेडेड रेस्पोंस प्लान (जी. आर. ए.पी.)

- 1. जबिक दिल्ली और एन.सी.आर. के अन्य भागों में उच्च स्तर का वायु प्रदूषण और विशेषत: प्रदूषण के स्तर में आकस्मिक वृद्धि स्पष्ट रूप से गंभीर चिंता का विषय रहा है| सीपीसीबी की शिफरिशों के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जी.आर.ए.पी.) के कार्यान्वयन के लिए जनवरी 2017 में अधिसूचना जारी की गई|
- 2. जबिक, कुछ वर्षों के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए की गयी पहल और क्षेत्र में सर्दी के मौसम के दौरान सामान्यत: वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को दूर करने के लिए ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की विस्त्रित समीक्षा करने की आवश्यकता पर विचार किया गया और एक्युआई पूर्वानुमान के आधार पर अग्रिम निर्धारित कार्रवाई/ उपाय लागू किए गये |
- 3. जबिक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्लू पी (सी) सं. 1135/2020 " आदित्य दुबे (नाबालिग) एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य" में दिनांक 24 नवम्बर, 2021 के आदेश के अनुसरण में आयोग ने एक विशेषज्ञ समूह (Expert Group) का गठन किया | आदेश में शिफारिश की गई कि डायनामिक एयर कालिटी फोरकास्ट सिस्टम नामत: एयर कालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (ए क्यू ई डब्लू एस) लागू किया जाए जो कि दिल्ली में दैनिक आधार पर एक्यूआई का अग्रिम पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हो और प्रमुख पैरामीटर जैसे, हवा की गति , हवा की दिशा , तापमान और सापेक्ष आद्रता (Relative Humidity), मिक्सिंगलेयर हाइट, वेंटिलेशन सूचकांक और एयर मॉस फ्लो आदि के लिए पूर्वानुमान की अविध के लिए हो।
- 4. जबिक, विशेषज्ञ समूह ने थ्रेशोल्ड/ बेंचमार्क की भी शिफारिश की और बताया कि खराब वायु गुणवत्ता श्रेणी वायु गुणवत्ता सूचकांक पर आधारित होनी चाहिए न कि पी एम 2.5 और/या पीएम 10 कंसेनट्रेशन वैल्यु के आधार पर।
- 5. जबिक, आयोग ने दिनांक 04.01.2022 को आयोजित अपनी बैठक में जी आर ए पी में विस्त्रित संशोधन के लिए विचार विमर्श किया जो कि सामान्यत: अक्टूबर से जनवरी के महीने के दौरान खराब वायु गुणवत्ता के कारण लागू होता है।

- 6. जबिक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डब्लू पी सी सं 1135/2020 "आदित्य दुबे (नाबालिग) एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में , जीआरएपी की 2017 में बनाई गयी अनुसूची की संशोधित अनुसूची प्रस्तुत की गई थी|
- ग. जबिक, माननीय/सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16.12.2021 के उपरोक्त मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को आगे निदेश दिया था कि आम जनता एवं विशेषज्ञों से भी सुझाव आमंत्रित करें कि प्रतिवर्ष दिल्ली एवं एन सी आर में होनेवाले वायु प्रदूषण के खतरे का स्थाई समाधान कैसे निकाला जाये।
- 8. जबिक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसरण में आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने नोट किया है और सहमित दी है कि जीआरएपी के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा की जाये।
- 9. जबिक, जीआरएपी की समीक्षा के मामले में विचार किया गया और आयोग ने उसे अनुमोदित किया।
- 10. अब, इसलिए , आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत, निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:-
 - (i) एन सी आर में सभी संबंधितों द्वारा संशोधित ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का सख्ती से लागू किया जाये|
 - (ii) इस निर्देश से संलग्न, संशोधित जीआरएपी 01.10.2022 से प्रभावी होंगे।

हस्ता०

(अरविन्द नौटियाल)

सदस्य-सचिव

ई-मेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में :

- 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226 001
- 2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकार सचिवालय, जयपुर, राजस्थान 302 005
- 3. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथी मंजिल, सिविल सचिवालय, सेक्टर ।, चंडीगढ
- 4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, तीसरा तल, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
- 5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश
- 6. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, कमरा नं. 335, तीसरी मंजिल, हरियाणा, न्यू सचिवालय, सेक्टर 17, चंडीगढ
- 7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा नं. 801, 8वीं मंजिल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली - 1 10002
- 8. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, कमरा नंबर 4224, द्वितीय तल, मेन बिल्डिंग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर
- 9. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, कमरा नंबर 701, बापू भवन, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- 10. अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान कमरा नंबर 4102, मैन बिल्डिंग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
- 11. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार, कमरा न. 621, छठी मंजिल, न्यू सेक्रेटेरिएट, सेक्टर 17, चंडीगढ़
- 12.प्रधान सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार , 5/9, अन्डर हिल रोड, लुडलो कैसल, सिविल लाइन्स, , दिल्ली -110054
- 13.प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 201, लोक भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- 14. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्थान, खाद्य भवन, सचिवालय जयपुर, राजस्थान
- 15. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, 506, पाँचवा तल, न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट, सेक्टर 17, चंडीगढ़
- 16. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, नया पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
- 17. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, 9बी तल , टावर-2, गोमती नगर एक्सटेंशन, शहीद, पथ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
- 18. पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, टोंक रोड, जोधपुर, राजस्थान
- 19. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पुलिस मुख्यालय, सेक्टर 5, सिटी-पंचकुला, हरियाणा -134109

- 20. विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) दिल्ली, दिल्ली पुलिस नया मुख्यालय, टावर-1, द्वितीय फ्लोर, जयसिंह रोड, नई दिल्ली
- 21. अपर पुलिस महानिदेशक, (यातायात) उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- 22. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), राजस्थान, कमरा नंबर 740, पुलिस मुख्यालय, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान
- 23. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (यातायात एवं राजमार्ग), हरियाणा, सेक्टर 7, करनाल, हरियाणा
- 24. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जी 5 और 7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075
- 25. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), बी ब्लॉक, पहली मंजिल, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली - 110023
- 26. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
- 27. विशेष अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, चौथी मंजिल, मिंटो रोड, आईटीओ, दिल्ली 110002
- 28. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, चौथी मंजिल, मिंटो रोड, आईटीओ, दिल्ली 110002
- 29. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, सदर बाज़ार रोड, दिल्ली कंटोनमेंट, दिल्ली ॥००।०
- 30. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)। परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली 110032
- 31. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी सी, 12 वी, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- 32. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,4, झालाना इंस्टिट्यूशनल, एरिया झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान-302004
- 33. अध्यक्ष, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा 134109
- 34. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 6 तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, दिल्ली 110002
- 35. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली, दूसरी मंजिल, मासो बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
- 36. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा निर्माण भवन, निर्माण सदन, प्लॉट नंबर 1, दक्षिण मार्ग, सेक्टर -33 ए, हरियाणा, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), चंडीगढ़।
- 37. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान, 170, कमला नेहरू नगर, गनपति नगर, जयपुर, राजस्थान -302007
- 38. मुख्य अभियंता, उ.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, 96 एम.जी. मॉर्ग, विपरीत राज भवन, लखनऊ-226001
- 39. सीएमडी, एनटीपीसी, एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

- 40. प्रबंध निदेशक, डीएमआरसी लिमिटेड, मेट्रो भवन, ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001
- 41. प्रबंध निदेशक और सीईओ, डीआईएमटीएस, 8वीं मंजिल, ए ब्लॉक, आईटी पोर्क रोड, मेट्रो विहार, शास्त्री पार्क, शाहदरा, नई दिल्ली, दिल्ली -110053
- 42. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट निगम, गतिशक्ति भवन, आई. एन. ए., नई दिल्ली- 110023
- 43. अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
- 44. अध्यक्ष, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर 6, नोएडा, उत्तर प्रदेश
- 45. अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नंबर 01, नॉलेज पोर्क -04, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी – 201308
- 46.उपाध्यक्ष, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास पथ, पुराना बस स्टैंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001.
- 47. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, मेट्रो स्टेशन, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 44, निकट हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम, हरियाणा|
- 48. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली 110032
- 49. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टीसी-12वी, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226010
- 50. सदस्य सिचव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 4. झालाना इंस्टीट्युशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान - 302004
- 51. सदस्य सचिव, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा 134109
- 52. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण सिमिति, पांचवीं मंजिल, सी विंग, दिल्ली सिचवालय, आई पी एस्टेट, दिल्ली - 110002
- 53. मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी, निदेशालय स्थानीय निकाय, ब्लाक नं. 11- 14. सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा -134112
- 54. मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, प्लॉट नंबर -18, सेक्टर-7, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश
- 55. मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय निदेशक, 22 गोदाम, निकट शिव लाइन, फाटक, जयपुर, राजस्थान
- 56. उपायुक्त, सेंट्रल दिल्ली, 14, दरियागंज, नई दिल्ली 110002
- 57.उपायुक्त, पूर्वी दिल्ली, एल एम बंड, शास्त्री नगर, दिल्ली 110031
- 58.उपायुक्त, नई दिल्ली, 12/1, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली 110011
- 59.उपायुक्त, नार्थ दिल्ली, अलीपुर, दिल्ली- 110036
- 60.उपायुक्त, उत्तर पूर्वी दिल्ली, डीसी कार्यालय परिसर, नन्द नगरी, गगन सिनेमा के सामने, दिल्ली 110093
- 61. उपायुक्त, उत्तर पश्चिम दिल्ली, कंझावाला, दिल्ली 110081

- 62.उपायुक्त, शाहदरा, नन्द नगरी, सामने गगन सिनेमा, दिल्ली-110093
- 63.उपायुक्त, दक्षिणी दिल्ली, एम बी रोड, साकेत, नई दिल्ली 110068
- 64.उपायुक्त, दक्षिण पूर्व दिल्ली, ओल्ड गर्गी कॉलेज बिल्डिंग, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली 110024
- 65.उपायुक्त, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, ओल्ड टर्मिनॉल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेरा, नई दिल्ली- 110037
- 66.उपायुक्त, पश्चिमी दिल्ली, प्लॉट नंबर 3, शिवाजी पैलेस, निकट वेस्ट मॉल गेट, राजा गार्डन, नई दिल्ली -110027
- 67.जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, समाहरणालय, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002
- 68.जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,समाहरणालय, राजनगर, ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश -20100
- 69.जिला मजिस्ट्रेट, शामली, बड़ा बाज़ार, शामली, उत्तर प्रदेश 247776
- 70.जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर कलेक्टोरेट, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203001
- 71.जिला मजिस्ट्रेट, मुज़फ्फरनगर, कलेक्टोरेट, (प्रकाश चौक के निकट), जिला मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश -251001
- 72.जिला मजिस्ट्रेट, हापुर, समाहरणालय, हापुर, उत्तर प्रदेश -245101
- 73.जिला मजिस्ट्रेट, बाघपात समाहरणालय, बाघपत, उत्तर प्रदेश -250619
- 74.जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर, तुलसी मार्ग, पॉकेट जी, सेक्टर -27, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश -201301
- 75.उपायुक्त, रोहतक, मिनी सचिवालय, जिला रोहतक, हरियाणा 124001
- 76.उपायुक्त, गुरुग्राम, प्रथम तल, मिनी सचिवालय, गुरुग्राम
- 77.उपायुक्त, सोनीपत, मिनी सचिवालय, जिला सोनीपत, हरियाणा 131001
- 78.उपायुक्त, पानीपत, प्रथम तल, मिनी सचिवालय, जिला पानीपत, हरियाणा 132103
- 79. उपायुक्त, करनाल, मॉल रोड, करनाल, जिला करनाल, हरियाणा 132001
- 80. उपायुक्त, फरीदाबाद, कमरा नं. 111, प्रथम तल, मिनी सचिवालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद -121004
- 81. उपायुक्त, भिवानी, आयुक्त कार्यालय, भिवानी, हरियाणा -127021
- 82. उपायुक्त, रेवाड़ी, मिनी सचिवालय, बाउल रूड, राजीव चौक, रेवाड़ी, हरियाणा 123401
- 83. उपायुक्त, महेंद्रगढ़, प्रथम तल, मिनी सेक्रेटेरियट, नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा
- 84. उपायुक्त, पलवल, कमरा नं-201, द्वितीय तल, मिनी सेक्रेटोरियोट, पलवल, हरियाणा- 121102
- 85. उपायुक्त, नूंह, द्वितीय तल, लघु सचिवालय, नूह, हरियाणा -122107

- 86. उपायुक्त, झज्जर, लघु सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, झज्जर, हरियाणा 124103
- 87. उपायुक्त, चरखी दादरी, मिनी सचिवालय, चरखी दादरी, हरियाणा
- 88. उपायुक्त, जींद, उपायुक्त कार्यालय, मिनी सचिवालय, जिंद, हरियाणा -126102
- 89. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, समाहरणालय, राजेंद्र नगर, भरतपुर, राजस्थान-321001
- 90. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, मोहल्ला लाडिया, अलवर, राजस्थान 301001
- 91. आयुक्त, मेरठ नगर निगम, घंटा घर के निकट, कैसर गंज रोड, मेरठ 250002
- 92. आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, नवयुग मार्किट, पुरानी बस स्टैंड के सामने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001
- 93. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शामली, मिल रोड, शामली, उत्तर प्रदेश -247776
- 94. अध्यक्ष, नगर पालिका, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
- 95.अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, एसडी एरिया, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश 251002
- 96. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हापुर, लोधी गेट नगर, अंतरपूरा चौपटा, हापुड, उत्तर प्रदेश -245101
- 97. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बाघपत, उत्तर प्रदेश
- 98. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
- 99. आयुक्त, नगर निगम रोहतक, अंबेडकर चौक, एम सी कार्यालय, के सामने, बीएसएनएल कार्यालय, रोहतक, हरियाणा - 124001
- 100. आयुक्त, नगर निगम, सोनीपत, रेलवे स्टेशन के निकट, सोनीपत, हरियाणा 131001
- 101. आयुक्त, नगर निगम पानीपत, ताऊ देवी लाल, कॉम्प्लेक्स, रेलवे रोड, पानीपत, हरियाणा 132103
- 102. आयुक्त, नगर निगम, करनाल, सेक्टर-12, (नियर मिनी सेक्रेटेरियट), अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा -132001
- 103. आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद, बी.के. चौकी, न्यू इंडस्ट्रीयल टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा 121001
- 104. आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम, सी 1, इन्फो सिटी, सेक्टर 34, गुरुग्राम, हरियाणा 122001
- 105. जिला नगर आयुक्त, भिवानी नगर पालिका समिति, रेलवे स्टेशन के निकट, भिवानी, हरियाणा
- 106. अपर उपायुक्त, नगर पालिका परिषद रेवाड़ी, भरावास रोड, अग्रसेन चौक के निकट, भजन का बाग, राम बाघ मोहल्ला, रेवारी, हरियाणा -123401
- 107. जिला नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषद नारनौल, पी. डव्लू. डी. रेस्ट हाउस के निकट, महेंद्रगढ़, हरियाणा
- 108. उपायुक्त, नगर परिषद, पलवल, दूसरी मंजिल, मिनी सेक्रेटेरिएट, पलवल, हरियाणा- 121102
- 109. कार्यकारी अधिकारी, नगर सिमति, नूंह, सब्जी मंडी के निकट, सिविल लाइन्स, नूंह, हरियाणा 122107
- 110. कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद्, झज्जर, छुछकवास रोड, झज्जर, हरियाणा-124103

- 111. उपायुक्त, नगर परिषद, मिनी सचिवालय, जिला चरखी दादरी, हरियाणा
- 112. उपायुक्त, नगर परिषद, पुलिस लाइनस, जिला जींद, हरियाणा 126102
- 113. आयुक्त, नगर निगम भरतपुर, मथुरा गेट, भरतपुर, राजस्थान 321001
- 114. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर, चर्च रोड, अलवर, राजस्थान
- 115. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 44, हुडा सिटी सेंटर के निकट, मेट्रो स्टेशन के निकट, गुरुग्राम, हरियाणा 122003
- 116. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पीएसओ, सीजीओ, 5वाँ, ए ब्लाक, CGO कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र - 440001
- 117. प्रबंध निदेशक, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
- 118. प्रबंध निदेशक, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, शक्ति किरण बिल्डिंग, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
- 119. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, (टीपीडीडीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, हडसन लाइन्स वे, किंग्सवे, कैंप, दिल्ली-110009
- 120. प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूएचवीवीएनएल) विद्युत सदन, प्लॉट नंबर सी-16, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा
- 121. प्रबंध निदेशक, दक्षिणी हरियाणा विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, (DHVVNL), विद्युत सदन, विद्युत् नगर, हिसार, हरियाणा-125005
- 122. प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL), उर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ, उत्तर प्रदेश –250001
- 123. प्रबंध निदेशक, नॉएडा पॉवर कंपनी लिमिटेड, (NPCL) कमर्शियल काम्प्लेक्स , पहली एवेन्यू, पॉकेट एच, सेक्टर अल्फा ॥,ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
- 124. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान - 302005
- 125. प्रबंध निदेशक, भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड (जेवीवीएनएल) विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान -302005
- 126. प्रबंध निदेशक, दिल्ली ट्रनस्पोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी), गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली, डीटीसी हेडक्वार्टर्स, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
- 127. प्रबंध निदेशक, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, टिहरी कोठी, एमजी मॉर्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226001
- 128. प्रबंध निदेशक, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ़ हरियाणा, 30 बायस बिल्डिंग, द्वितीय तल. सेक्टर-17सी, चंडीगढ-160017

- 129. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट निगम, परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर, राजस्थान -302001
- 130. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), राजीव गाँधी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, हरियाणा पॉवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, तहसील, खेदर, बरवाला, विद्युत् सदन, विद्युत् नगर , हिसार-125122
- 131. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), दीन बंधू छोटूराम थर्मल पॉवर स्टेशन , हरियाणा पॉवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ग्राम : पंसारा, यमुनानगर - 135004
- 132. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असान, जींद रोड, पानीपत, हरियाणा-132105
- 133. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ओ एंड एम), झज्जर, पावर लिमिटेड, महात्मा गाँधी थर्मल पाँवर प्लांट सीएलपी इंडिया लिमिटेड तहसील- मतन्हाई, जिला- झज्जर, हरियाणा - 124106
- 134. प्लांट इन चार्ज, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
- 135. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम) तलबंदी संबो पावर लिमिटेड, ग्राम -बनावाला, मनसा, तलवंडी साबो रोड, मनसा - 151302
- 136. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ओ एंड एम), राजपुरा थर्मल पावर प्लांट, नाभा पॉवर लिमिटेड, नालाश/नलस विलेज, राजपुरा, जिला-पटियाला, पंजाब
- 137. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), गुरु गोबिंद सिंह थर्मल पावर स्टेशन, पंजाब राज्य स्टेट बिजली बोर्ड, रोपड़, पंजाब
- 138. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम), गुरु हरगोबिन्द सिंह, थर्मल पावर स्टेशन, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लहरा, मोहब्बत, भटिंडा, पंजाब
- ,139. नेशनल कैपिटल थर्मल पॉवर स्टेशन (एनसीटीपीएस) नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन, दादरी, जिला: गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201008
- 140. मुख्य अभियंता (ओ एंड एम) राजीव गाँधी थर्मल पाँवर प्रोजेक्ट, हरियाणा पावर जनरेशन काॅरपोरेशन लिमिटेड, तहसील, खेडर, बरवाला, हिसार, हरियाणा 125122

सूचना और उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिलिपि:

- 1.अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड, राइसिना रोड, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली 110001
- 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार, कमरा नंबर 112, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001
- 3. महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, (सीपीडब्ल्यूडी), ए-विंग, कमरा नं. 101, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि:-

- 1. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली - 110003
- 2. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001
- 3. सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001
- 4. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली 110001
- 5. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, रफी मार्ग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली, दिल्ली 110001
- 6. अध्यक्ष और सभी सदस्य (सह सदस्यों सहित), सीएक्यूएम

(अरविन्द नौटियाल)

_राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निर्देश सं. 66 का परिशिष्ट

एन सी आर के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी)

- 1. एन.सी.आर. दिल्ली में ख़राब वायु गुणवत्ता को ग्रेप (GRAP) में चार भिन्न-भिन्न श्रेणियों में वर्ग्रीकृत किया गया है अर्थात चरण -1, 'ख़राब' (एक्यूआई 201-300), चरण-॥ 'बहुत ख़राब (एक्यूआई 301-400), चरण ॥ 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450) और चरण –IV 'गंभीर' + (एक्यूआई > 450) क्रमश:।
- 2. ग्रेप (GRAP) की चरण ॥, ॥ और IV के तहत कार्रवाई एक्यूआई के अनुमानित स्तर पर पहुँचने पर कम से कम तीन दिन पूर्व की जायेगी जो कि रोजाना के आधार पर आयोग को आई एम डी/आईआईटीएम द्वारा दिये गये डायनामिक माडेल और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर होगी।
- 3. वायु प्रदूषण चरण जिस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया, वही पिछली चरणों पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी | उदहारण के लिए चरण ||।। श्रेणी पर जब भी प्रतिबन्ध लगाए गये थे वह क्रमश: चरण | एवं || पर लगाए गये प्रतिबन्ध के अलावा होंगे।
- 4. आयोग द्वारा जीआरएपी पर गठित उपसमिति अग्रिम कार्रवाई की योजना बनाने और जीआरएपी के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए आदेश देने हेतु प्राय: बैठकें आयोजित करेगी जो कि प्रचलित वायु गुणवत्ता और एक्यूआई पूर्वानुमान पर आधारित होगी जिसे आईएमडी समय समय पर जारी करेगा । ग्रेप को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा उपसमिति द्वारा की जायेगी।
- 5. एनसीआर राज्यों और जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव प्राय ग्रेप के कार्यों एवं कार्यान्वयन भी समीक्षा करेंगे, विशेषत: तब, जब वायु गुणवत्ता गिरती है या 'गंभीर' या गंभीर' + श्रेणी(चरण III एवं उसके परे) पहुँचती है।
- 6. आयोग, प्रचलित एक्यूआई और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ग्रेप के कार्यक्रम में अतिरिक्त उपाय और अपवाद के लिए विभिन्न वायु प्रदूषण श्रेणियों में यानी (चरण। से IV तक) निर्णय ले सकता है |

एन सी आर के लिए ग्रेप_ (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान)

चरण-। 'ख़राब' वायु गुणवत्ता स्तर (दिल्ली ए क्यूआई 201-300)

<u>कार्रवाई</u>	जिम्मेदार/कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसियाँ
 धूल कम करने के उपायों और सी एंड डी वेस्ट का उचित पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। 	-अध्यक्ष – सीपीसीबी डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)
2. ऐसी परियोजनायें जिनका प्लाट 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, जिन्हें सम्बंधित राज्य/जीएनसीटीडी के वेब पोर्टल पर आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देश सं 11-18 दिनांक 11.06.2021 के अनुसार अभी तक पंजीकृत नहीं कराया गया है, वहाँ सी एंड डी गतिविधियाँ रोक दी जाए।	-दिल्ली – एनसीआर के कस्बों में आयुक्त/स्थानीय निकायों के मुख्य अभियन्ता -निर्माण एजेंसियाँ/एवं प्लाट मालिक (दोनों सार्वजानिक / निजी)
3. ठोस कचरा (एमएसडब्लू), सी एंड डी वेस्ट और खतरनाक वेस्ट डंप साईट से नियमित रूप से उठाना और सुनिश्चित करना कि खुली ज़मीन पर अवैध तरीके से कचरा न फेंका जाए।	-दिल्ली — एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता। -सभी भूमि — स्वामित्व वाली एजेंसियाँ -निर्माण एजेंसियाँ(दोनों- सार्वजनिक/ निजी)
4. समय-समय पर सड़कों में मशीन द्वारा सफाई और पानी का छिडकाव सुनिश्चित करें । नामित साईट/लैंडफिल में ही एकत्रित धूल का निपटान किया जाए।	-दिल्ली — एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता। -सभी सड़क मालिक और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
5. परिसरों में सी एंड डी सामग्री और वेस्ट ठीक से ढककर रखना सुनिश्चित करें सी एंड डी कचरे को रीसाइकल किया जाना सुनिश्चित करना	-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता। -सभी निर्माण एजेंसियाँ और प्लाट मालिक (सार्वजनिक एवं निजी)।
6. निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोग गन के उपयोग के लिए दिशा निर्देशों का अनुपालन ।	-दिल्ली – एनसीआर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता। -सभी निर्माण एजेंसियाँ और प्लाट मालिक (दोनों सार्वजनिक एवं निजी)।

 ग. बायोमास एवं सॉलिड वेस्ट को खुले में जलाने पर सख्त पावंदी लागू की जाये। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चौकसी बरती जाए कि लैंडिफल साईट/ डंप साईट पर आग लगने की घटना न हो। 	-अध्यक्ष सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी(एनसीआर) -दिल्ली – एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/ मुख्य अभियंता। -सभी भू-स्वामित्व एजेंसियाँ
9. सभी चिन्हित कॉरिडोर और भीड़भाड़ वाले चौराहों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के प्रयत्न किए जाए 10. वाहन पी यू सी (पौल्यूसन अंडर कण्ट्रोल) मानदंडों पर कड़ी सतर्कता और प्रवर्तन। 11. वाहनों से प्रत्यक्ष एवं भारी उत्सर्जन के लिए कोई सहिष्णुता नहीं – प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोका जाये उन्हें ज़ब्त किया जाए तथा अधिकतम दण्ड लगाया जाए।	-दिल्ली एवं एनसीआर कस्बों में आयुक्त या यातायात पुलिस प्रमुख -दिल्ली और एनसीआर राज्यों के आयुक्त या यातायात विभाग के प्रमुख । -दिल्ली और एनसीआर कस्बों के आयुक्त या यातायात पुलिस के प्रमुख।
12. गैर नियत ट्रक यातायात के डायवर्जन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को सख्ती से लागू करें	-एन सी टी दिल्ली और एन सी आर कस्बों मे यातायात पुलिस प्रमुख। -एनसीटी दिल्ली / एन सीआर कस्बों के जिला मेजिस्ट्रेट/उप आयुक्त -एनसीटी दिल्ली और एनसीआर कस्बों के नगर पालिका निगमों के आयुक्त।

अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी 13. प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन न करने वाली और अवैध औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध (एनसीआर) कठोर दण्ड/कानुनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। एनसीटी – दिल्ली/एनसीआर कस्बों के जिला 14. सुनिश्चित करें कि उद्योगों द्वारा केवल मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, अनुमोदित इंधन का उपयोग किया जाये तथा उल्लंघन के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाये। 15. ईट भट्टों और उद्योगों में सभी प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में शहरी स्थानीय विनियमों को कडाई के साथ लागू किया जाए। निकायों के आयुक्त 16. ताप विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन मानदंडों को |-दिल्ली के 300 कि.मी. के दायरे में स्थित विद्युत सख्ती से लागू करें और गैर अनुपालन के लिए संयंत्रों के संयंत्र प्रभारी -अध्यक्ष–सीपीसीबी/डीपीसीसी/एसपीसीबी सख्त कार्रवाई करें। (एनसीआर) 17. पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाने के माननीय -दिल्ली पुलिस के आयुक्त एन सी आर कस्बों के न्यायालयों /अधिकरण के आदेशों को सख्ती आईजी/डीआईजी/एसपी या लाइसेंस जारी करने से लागू करें। वाले प्रभारी अधिकारी। -एनसीआर में सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट -विस्फोटकों , पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य नियंत्रक। 18. औद्योगिक और अविकसित क्षेत्रों से औद्योगिक अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी अपशिष्ट नियमित रूप से उठाना और उसका (एनसीआर)। उचित निपटान सुनिश्चित किया जाये। दिल्ली – एनसीआर के कस्बों आयुक्त/स्थानीय निकायों के मुख्य अभियन्ता सभी भूमि – स्वामित्व वाली एजेंसियाँ एनसीआर में सम्बन्धित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त 19. एनसीआर में सभी डिस्कोम बिजली की -एनसीआर में बिजली वितरण कंपनियों अधिकतम आपूर्ती सुनिश्चित करें। प्रमुख। 20. सुनिश्चित करें कि डीजल जनरेटर सेट बिजली -अध्यक्ष सीपीसीबी डीपीसीसी एसपीसीबी, के नियमित स्रोत के तौर पर प्रयोग न किए (एनसीआर) -एनसीआर में सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी जाए। /उपायुक्त।

21. सोशल मीडिया सहित मोबाइल एप्स के माध्यम से लोगों को सूचना प्रसारित की जानी चाहिए जिससे वे प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों/श्रोतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर सकें और प्रदूषण के स्तर के अनुसार सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी।	- जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग। - अध्यक्ष , सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीसी, एसपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)
22. 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त शिकायतों का निदान सुनिश्चित करना जिससे प्रदूषण गतिविधियों में कमी आए।	- एनसीआर कस्बों में स्थानीय शहरी निकायों के प्रमुख - अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एस पी सीबी(एनसीआर) - निर्माण एजेंसियाँ, भूमि –मालिक एजेंसियाँ , विकास एजेंसियाँ और ऐसी सभी सम्बंधित कार्यान्वयन एजेंसियाँ।
23. यातायात कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत आवागमन करने के लिए प्रोत्साहित करना ।	- एन सी आर एवं जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें।
 आपने वाहनों जैसे कार/बाईक/स्कूर्ण अपने वाहनों के टायरों में हवा का उ अपने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट अपने वाहन का इंजन बंद करके रर्रे कूड़ा-करकट/कचरा खुले में न फेंक् 	को अपडेट रखें। वे, जब वाहन ट्राफिक सिगनल पर खड़ा हो ।

चरण-॥ – बहुत ख़राब वायु गुणवत्ता स्तर (दिल्ली एक्यूआई 301-400)

क्रम सं	कार्रवाई	जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियाँ
1.	सड़कों पर व्यापक मशीनीकृत सफाई रोजाना की जाए ।	-दिल्ली –एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियंता।
2.	सड़कों पर धूल कम की जाये। पानी और धूल कम करने वाले रसायनों का छिडकाव (कम से कम हर दूसरे दिन), हॉट स्पॉट, भारी ट्रैफिक रास्तों, संवेदनशील क्षेत्रों में (पीक आवर्स से पहले) सुनिश्चित करें और एकत्रित धूल का उचित निपटान निर्दिष्ट स्थल/लैंडिफल में करें।	-सभी सड़क मालिकों और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी -दिल्ली व एन सी आर कस्बों के यातायात पुलिस के आयुक्त ऐसी सड़कों की पहचान करे जहाँ भारी यातायात रहता है और सम्बंधित नगर पालिका आयुक्तों को जानकारी दें।
3.	सी एन्ड डी साईट पर नियमित निरीक्षण एवं धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से प्रवर्तन।	-अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर) -दिल्ली एवं एन सी आर , कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियन्ता।
4.	होटल, रेस्टोरेंट और खुले में भोजनालयों में तंदूर आदि में कोयला/जलाऊ लकड़ी पर प्रतिबन्ध।	-दिल्ली – एन सीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त / मुख्य अभियंता।
5.	होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालय सुनिश्चित करें कि केवल बिजली/स्वच्छ गैस आधारित उपकरणों को प्रयोग किया जाए।	
6.	जनरेटर सेट के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें।	-राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव। -दिल्ली और एनसीआर जिलों के बिजली वितरण कंपनियों के प्रमुख.
7.		

	निम्नलिखित आपातकालीन और आवश्यक सेवायें छोडकर, डीजल जनरेटर का प्रयोग बंद सुनिश्चित करें- 1. चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) जिसमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण दवाएं शामिल हैं। (ii) विभिन्न प्रतिष्ठानों में लिफ्ट /एस्कलेटर /	
	्रैवलेटर आदि (iii) रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन। (iv) स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवायें। (v) हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (vi) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। (vii) जल पम्पिंग स्टेशन। (viii) राष्ट्रीय सुरक्षा / रक्षा संबंधी गतिविधियां। (ix) राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं। (x) दूरसंचार / डाटा सेवाएं। टिप्पणी-	- अध्यक्ष –सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) - दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।
	(i) औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में परिचालन एवं तकनीकी अत्यावश्यकताओं और अनिमियत बिजली आपूर्ति के कारण, आयोग द्वारा दिनांक 08.02.2022 को जारी किये गये निर्देश सं. 54 से 57 के अनुसार डी जी सेटों का प्रयोग विनियमित किया जाएगा। सीएनजी/पीएनजी/एलपीजी आधारित जनरेटर सेटों के सञ्चालन पर एन सी आर में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।	- एन सी आर राज्यों और जीएनसीटीडी के जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त।
8.	यातायात संचालन के समय (कई कामों) के लिए) चौराहों/यातायात बिन्दुओं पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करें जिससे यातायात को सुचारू प्रवाह के साथ चलाया जा सके।	-दिल्ली और एन सी आर कस्बों की पुलिस आयुक्त या प्रभारी अधिकारी यातायात।
9.	वायु प्रदूषण बढाने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए "क्या करें क्या न करें" इत्यादि हेतु समाचार पत्र/टीवी/रेडियो पर अलर्ट जारी करें।	
10.	निजी परिवहन को हतोत्साहित करने हेतु पार्किंग शुल्क बढायें।	-एनसीआर राज्यों एवं जीएनसीटीडी के शहरी स्थानीय निकायों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव

निर्देश सं - 66

		-दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त।
11.	सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढाया जाए।	-एनसीआर राज्य सरकारें -एनसीटी, दिल्ली और एनसीआर राज्य सरकारों के यातायात विभाग के प्रधान सचिव -दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) -एनसीआर कस्बों के राज्य परिवहन निगम -दिल्ली एकीकृत बहु-मोडेल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) -दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी)
12.	आवास कल्याण संघ को सर्दियों के दौरान सुरक्षा कर्मियों को बिजली के हीटर उपलब्ध करना चाहिए जिससे खुले में बायोमॉस और सॉलिड वेस्ट जलाने से बचा जा सके।	-आवास कल्याण संघ
नागरिक चार्टर	 लोग सार्वजानिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। अपने ऑटोमोबाइल में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फ़िल्टर बदलें। अक्टूबर से जनवरी के महीनों में धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्य न करें। 	

चरण – ॥। – गंभीर वायु गुणवत्ता स्तर

(दिल्ली एक्यू आई 401 से 450 तक)

क्रम सं०	कार्रवाई	जिम्मेदार एजेंसियाँ/कार्यान्वयन एजेंसियाँ
1.	सड़कों की मशीनीकृत /वैक्यूम आधारित सफाई की आवृती को और तेज करें।	- दिल्ली-एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता।
2.	धूल कम करने के लिए हर संभव प्रयास के साथ रोजाना सड़कों पर हॉट स्पोटों पर पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें। निर्धारित स्थानों/लैंडिफल पर ही एकत्रित धूल का निस्तारण करें।	 सभी सड़क मालिकों और रखरखाव एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस के प्रमुख भारी यातायात वाली सड़कों की पहचान करके सम्बंधित महानगर पालिका , आयुक्त /नगर पालिका निकायों के प्रमुख को जानकारी प्रदान करें।
3.	पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को और तेज करना off peak यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न दरें लागू करें।	 एनसीटी दिल्ली के यातायात विभाग के सचिव एवं आयुक्त एनसीआर राज्यों के यातायात आयुक्त प्रबंध निदेशक , दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) अध्यक्ष, राज्य परिवहन निगम

4. निर्माण एवं विध्वंश (सी एंड डी) गतिविधियाँ :

- (i) निम्नलिखित परियोजनाओं और गतिविधियों को छोड़कर, पूरे एनसीआर में सी एंड डी गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबन्ध लागू करें।
- (क) रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन
- (ख) मेट्रो रेल सेवाएं एवं स्टेशन
- (ग) हवाई अड्डे और अंतर्राज्य बस टर्मिनल
- (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियां / परियोजनाएं
- (ङ) अस्पताल /स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं
- (च) लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, विद्युत् ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि।
- (छ) स्वछता संबंधी प्रोजेक्ट जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पानी सप्लाई प्रोजेक्ट आदि;
- (ज) सहायक गतिविधियाँ जो कि उपरोक्त श्रेणियों के पूरक परियोजनाओं से सम्बंधित है।

टिप्पणी –

उपरोक्त छूट सी एन्ड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल की रोकथाम / नियंत्रण के निदेशों के सख्त अनुपालन के अधीन आयोग द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ ही दी जायगी।

(ii) उपरोक्त (i) के तहत छूट प्राप्त परियोजनाओं के अलावा धूल पैदा करने /वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली सी एन्ड डी गतिविधियों को कड़ाई से इस अविध के दौरान प्रतिबंधित किया जाएगा जो नीचे दी गई है: —

- एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी
- अध्यक्ष सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)।
- दिल्ली और एनसीआर कस्बों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त /मुख्य अभियंता।

- बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य सहित मिट्टी खुदाई और भराई का काम।
- सभी संरचनात्मक निर्माण कार्य जिसमें फेब्रिकेशन और वेल्डिंग ऑपरेशन होते है ।
- डेमोलिशन कार्य।
- परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग
- निर्माण सामग्री ,फ्लाई ऐश इत्यादि का कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हस्तांतरण ।
- कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ।
- बैचिंग प्लांट का संचालन।
- सीवर लाइन बिछाने, पानी की लाइन , ड्रेनेज का काम और ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रिक केबिलंग।
- टाईलों, पत्थर और अन्य सामग्री का कटान।
- ग्राइंडिंग गतिविधियाँ।
- पाईलिंग कार्य
- वाटर प्रूफिंग कार्य ।
- सड़क,फूटपाथ/रास्ते इत्यादि के निर्माण / मरम्मत कार्य
- (iii) एनसीआर में सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए, गैर -प्रदूषणकारी /गैर-धूल पैदा करने वाली गतिविधियाँ जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सज्जा, विद्युत के कार्य और बढ़ईगीरी संबंधी कार्य जारी रखे जा सकेगें।

औद्योगिक सञ्चालन

- (क) ऐसे औधोगिक क्षेत्र जहाँ पी एन जी उपलब्ध है | जो उद्योग/सञ्चालन एन सी आर के लिए अनुमोदित इंधन सूची(approved fuel list) के अनुसार नहीं चल रहे हैं , उन्हें सख्ती के साथ बंद/प्रतिबंधित किया जाए।
- (ख) ऐसे औधोगिक क्षेत्र जहाँ पी एन जी की उपलब्धता नहीं है और उन क्षेत्रों में वह इकाईयां जो अब तक अनुमोदित ईधन नहीं प्रयोग कर रही है, वे एक सप्ताह में अधिकतम, 05 दिन (31.12.2022 तक) निम्नवत संचालन करेंगे: -
 - (i) कागज़ और लुगदी प्रसंस्करण, भट्टियां और कैप्टिव थर्मल पॉवर प्लांट शनिवार और रविवार को नहीं चलेंगे।
 - (ii) धान/चावल प्रसंस्करण इकाईयाँ सोमवार व मंगलवार को नहीं चलेंगी।
 - (iii) कपड़ा/वस्त्न और परिधान रंगाई प्रक्रिया सहित – बुधवार और गुरुवार को नहीं चलेंगे।
 - (iv) उपरोक्त श्रेणियों में जो उद्योग नहीं आते हैं – वे शुक्रवार और शनिवार को बन्द रहेंगे।
- (ग) पूरे एन सीआर में ऐसे उद्योग/सञ्चालन जो मानक अनुमोदित इंधन सूची के अनुसार नहीं चल रहे है, उन्हें

-अध्यक्ष – सीपीसीबी डीपीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर)

-पुलिस आयुक्त – दिल्ली और एनसीआर राज्यों के पुलिस महानिदेशक ।

-दिल्ली एवं एन सी आर में सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी/ उपायुक्त।

	01-01-2023 से सख्ती के साथ बन्द/प्रतिबंधित किया जाए।	
	टिप्पणी –दूध और डेयरी इकाईयाँ और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों का निर्माण/उपकरण, दवाएं बनाने वाली ईकाईयां, उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।	
6.	उन ईट भट्टों , हॉट मिक्स प्लांटों को बंद कर दें जो कि एन सी आर में अनुमोदित मानक इंधन सूची के अनुसार नहीं चल रहे हैं।	- अध्यक्ष –सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर) - दिल्ली पुलिस आयुक्त और एन सी आर राज्यों के पुलिस महानिदेशक - दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों के
7.	स्टोन क्रेशर का संचालन बंद करें	- १५९६॥ एप एनसाजार राज्या क सम्बंधित जिला अधिकारी / उपायुक्त।
8.	एन सीआर में खनन और उससे जुडी गतिविधियों को प्रतिबंधित /बंद करें।	 अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी, (एनसीआर) एन सीआर में सम्बंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त दिल्ली पुलिस आयुक्त और एन सी आर कस्बों के आई जी/डीआईजी/एसपी.
9.	एनसीआर की राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी बीएस III पेट्रोल और बी एस IV डीजल एल एम वी(4 पहिया वाहनों) पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।	टी डी ।
नागरिक चार्टर	स्वच्छ आवागमन चुने – काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या पैदल या साइकिल का प्रयोग करे। - जिन लोगों की स्थिति घर से काम करने के लिए सुविधाजनक है, वे घर से कार्य कर सकते हैं। - गर्म करने के उद्देश्य से, कोयला और लकड़ी का प्रयोग न करें। - व्यक्तिगत घर के मालिक सुरक्षा कर्मचारियों को सर्दी के समय खुले में आग लगाने के बजाय बिजली के हीटर प्रदान कर सकते हैं। - कार्यों को एक साथ करें और यात्राओं को कम करें। जहां भी संभव हो, पैदल चलें	

चरण —IV — गंभीर + वायु गुणवत्ता स्तर (दिल्ली — एक्यूआई >450)

कार्रवाई	जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियां
1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें। (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)।	- राज्य सरकारें - परिवहन आयुक्त, जीएनसीटीडी /एनसीआर राज्य आयुक्त /शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख - दिल्ली एनसीआर के कस्बों के पुलिस आयुक्त - दिल्ली और एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त/ यातायात पुलिस प्रमुख
 दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (एम जी वी) और भारी माल वाहन (एच जी वी) के चलने पर प्रतिबन्ध लगायें। केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों अथवा आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले वाहनों को चलने दें। 	 एनसीआर/ और राज्य सरकारें एवं जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें। जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्यों के परिवहन आयुक्त दिल्ली और एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस प्रमुख।
 बीएस-v। वाहनों और आवश्यक /आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के एनसीटी और दिल्ली की सीमा से लगे सभी एनसीआर के जिलों में चार-पिहया डीजल वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाये। 	 एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्यों के परिवहन आयुक्त दिल्ली एवं एनसीआर कस्बों के पुलिस आयुक्त /यातायात पुलिस प्रमुख।
4. एनसीआर में ऐसे सभी उद्योगों को बंद करें , यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जिनके पास पीएनजी आपूर्ति नहीं है, जो एनसीआर के लिए स्वीकृत इंधन की मानक सूची के अलावा अन्य इंधन पर चल रहे हैं। टिप्पणी: - उद्योग जैसे दूध और डेयरी इकाईयाँ और जीवन रक्षक दवाये/चिकित्सा उपकरण उत्पादन करनेवाली इकाईयाँ उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त होंगी।	-अध्यक्ष, सीपीसीबी, डीपीसीसीसी, एसपीसीबी (एनसीआर) -दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनसीआर कस्बों के आईजी/डीआईजी/एसपी। -दिल्ली एवं एन सी आर कस्बों में सम्बंधित जिलों के पुलिस आयुक्त।
5. लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे राजमार्ग, सडकें, फ्लाईओवर, ब्रिज बिजली ट्रांसिमशन, पाइपलाइन आदि से सम्बंधित सी एंड डी गतिविधियाँ प्रतिबंधित करें।	-अध्यक्ष – सीपीसीबी, डीपीसीसी, एसपीसीबी(एनसीआर)। -दिल्ली एन सी आर कस्बों के शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य अभियंता

नगर अन्य उचि 7. केन्द्र	तीआर राज्य सरकारें /जीएनसीटीडी सार्वजनिक , एपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता और म को घर से कार्य करने की अनुमति के सम्बन्ध में ति निर्णय लें । तीय सरकार सरकारी कार्यालयों में घर से कार्य करने लेए अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है।	'
8. राज्य विद्य आप वाहर	ति अनुमात देन के लिए निजय से सकता है। महित्र अतिरिक्त आपात कालीन उपाय जैसे लिय /कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान , गैर- शितकालीन वाणिज्य गतिविधियों को बन्द करने और नों को आड-ईवन आधार पर चलाने इत्यादि के लिए शिर कर सकती हैं।	एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य
नागरिक चार्टर	• बच्चे , बुजुर्ग और साँस , कार्डियोवैस्कुलर वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचने के	